

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
24.12.2019	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय समाहर्ता, पूर्णिया</b></p> <p style="text-align: center;"><b>उत्पाद वाद संख्या-76/2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>राज्य</b></p> <p style="text-align: center;"><b>बनाम</b></p> <p style="text-align: center;">1. मो० हसिब राय, पिता-अब्दुल अजीज, सा०-माधोपाड़ा, थाना-के० हाट, जिला-पूर्णिया । (जप्त TEMPU NO.-BR11PA-3864 के स्वामी)</p> <p style="text-align: right;">..... विपक्षी</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अभिलेख उपस्थापित । यह वाद बायसी थाना कांड सं०-299/2018 दिनांक 24.12.2018 के आलोक में प्रारम्भ की गई है । पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 407/हि०शा० दिनांक-28.01.2019 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि उक्त वाहन की जांच दिनांक 24.12.2018 को बायसी डंगराहा पुल के पास की गई । जांच के क्रम में जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 20 बोतल (प्रति बोतल 750 मि० ली० का) एवं OFFICERS CHOICE WHISKY का 144 पाउच (प्रति पाउच 180 मि०ली० का) विदेशी शराब पाया गया । तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई । पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है ।</p> <p>इस वाद में विपक्षी को अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व के माध्यम से दिनांक 16.03.2019 को नोटिस का तामिला कराया गया, परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए, जिन्हें दिनांक 05.11.2019 की सुनवाई में अंतिम मौका भी दिया जा चुका है ।</p> <p>उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना । उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 20 बोतल (प्रति बोतल 750 मि० ली० का) एवं OFFICERS CHOICE WHISKY का 144 पाउच (प्रति पाउच 180 मि०ली० का) विदेशी शराब बरामद</p>	

हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी वाहन मालिक को न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस का तामिला कराया गया, परन्तु उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिससे स्पष्ट होता है कि इस वाद में उन्हें कुछ नहीं कहना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।


अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त वाहन **TEMPU NO.-BR11PA-3864** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई

सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,  
पूर्णिया।

  
समाहर्ता,  
पूर्णिया।